

**फॉर्मेट II**

वर्ष 2018-19 / 2019-20 के लिए मत्स्य पालन / पशुपालन (कृपया टिक करें) से संबंधित किसानों को दिए गए रु. 2 लाख तक के अल्पावधि ऋण के संबंध में समय से चुकौती करने पर 3% के ब्याज सबवेंशन हेतु एकवारगी दावा

बैंक का नाम : \_\_\_\_\_

	<b>7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर कुल अल्पावधि ऋण</b>		कुल अल्पावधि ऋण जिसकी चुकौती समय पर की गई थी		<b>3 प्रतिशत की दर से दावा की गई अतिरिक्त सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)</b>
	खातों की संख्या (हजार में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	खातों की संख्या (हजार में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	
<b>2 लाख रुपए तक के ऋण</b>					

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए वर्ष 2018-19/2019-20 हेतु 3% के अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के लिए श्रेणी-वार एकवारगी दावा

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत के लिए कुल अल्पावधि ऋण जो समय पर चुकाए गए थे								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
<b>2 लाख रुपए तक के ऋण</b>									

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र लिए वर्ष 2018-19/2019-20 हेतु 3% के अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन के लिए श्रेणी-वार एकवारगी दावा

	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल अल्पावधि ऋण जो समय पर चुकाए गए थे								
	सामान्य			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)	खातों की संख्या (हजारों में)	संवितरित / आहरण राशि (रु. लाख में)	दावा की गई सबवेंशन की राशि (वास्तविक रूप में)
<b>2 लाख रुपए तक के ऋण</b>									

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त अल्पावधि ऋण जिनके लिए दावा किया जा रहा है, उनकी चुकौती समय पर की गई थी और 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन सबवेंशन का लाभ ऋणी किसानों को पहले ही दिया गया है, जिससे वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन / पशुपालन से संबंधित किसानों को संवितरित रु.2 लाख तक के अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक की गई है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अगस्त 2019 के परिपत्र विसवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 का कड़ाई से पालन करते हुए मत्स्य पालन / पशुपालन से संबंधित किसानों को दिए गए पात्र अल्पावधि ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन संबंधी दावों की गणना की है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर  
 नाम: \_\_\_\_\_  
 पदनाम: \_\_\_\_\_  
 बैंक की मुहर:

दिनांक : \_\_\_\_\_

हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक (बैंक का नाम) द्वारा दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ की अवधि के दौरान मत्स्य पालन / पशुपालन से संबंधित किसानों को संवितरित किए गए पात्र अल्पावधि ऋणों पर गणना किए गए रु. \_\_\_\_\_ के 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन से संबंधित उक्त दावा को सही और ठीक पाया गया है तथा इसे बनाते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 26 अगस्त 2019 के परिपत्र विसवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.10/05.02.001/2019-20 का कड़ाई से पालन किया गया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर  
 नाम: \_\_\_\_\_  
 फर्म पंजीकरण संख्या: \_\_\_\_\_  
 सदस्यता संख्या: \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_